भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4241

18 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

आंध्र प्रदेश में योजनाओं का कार्यान्वयन

4241. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों का जिलावार और विशेषकर कोनसीमा जिले का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और कार्यशील उचित दर की दुकानों का जिला-वार, और विशेषकर कोनसीमा जिले का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार और जिला-वार आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) डिजिटलीकरण, वास्तविक समय पर निगरानी और शिकायत निवारण सहित सार्वजनिक वितरण में प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों का राज्य-वार और जिला-वार और विशेषकर कोनसीमा जिले में हुई प्रगति से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ड.) उपभोक्ता फोरम आउटरीच सहित आंध्र प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण, मूल्य निगरानी और जागरूकता संबंधी पहलों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या आंध्र प्रदेश में, विशेषकर कोनसीमा जिले में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण को मजबूत करने के लिए कोई नई पहल करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू की जा रही है।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य में लाभार्थियों की संख्या और क्रियाशील उचित दर दुकानों का जिलावार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

...2/-

(ग): भारत सरकार द्वारा आवंटित राशि के अनुसार, केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण हेतु विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति का विकल्प चुनने वाले राज्यों (आंध्र प्रदेश सहित) द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर निधि जारी की जाती है। राज्य को निधियां जिलावार न जारी करके समग्र रूप से जारी की जाती है। राज्यों को जिस आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) पर खाद्यान्न जारी किया जाता है, उसके बीच का अंतर खाद्य सब्सिडी के रूप में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और डीसीपी राज्यों को प्रतिपूर्ति किया जाता है। डीसीपी राज्यों और एफसीआई को जारी की जाने वाली खाद्य सब्सिडी वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा किए गए बजटीय आबंटन के अनुसार होती है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यवार निधि आबंटित नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, एफसीआई द्वारा राज्यों को केंद्रीय पूल के लिए राज्यों द्वारा सौंपी गई खाद्यान्न की मात्रा के लिए भी निधियां जारी की जाती हैं। डीसीपी पद्धति के तहत वित्त वर्ष 2022-23 से अब तक आंध्र प्रदेश सरकार को खाद्य सब्सिडी के रूप में जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	**जारी की गई सब्सिडी (करोड़ रुपये में)**
1.	2022-23	6635.97
2.	2023-24	6268.19
3.	2024-25	9948.83
4.	2025-26*	6946.16

(*दिनांक 12.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार)

केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को "एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" योजना के तहत सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़)
1.	2022-23	91.73
2.	2023-24	105.44
3.	2024-25	281.23
4.	2025-26*	371.90

(*दिनांक 12.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार)

(घ): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश सहित) में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:-

...3/-

(i) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी के डेटाबेस को पूरी तरह से डिजिटल (100%) कर दिया गया है। 99.7% राशन कार्डों को आधार से जोड़ा गया है।

(ii) पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए गए हैं।

(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्र के अलावा, जिन्होंने डीबीटी नकद योजना योजना को अपनाया है) में आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(iv) राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता, जिसे लोकप्रिय रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के नाम से जाना जाता है, सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों को शामिल किया जाता है।

(v) देश में कुल 5.51 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से 5.50 लाख (99.8%) से अधिक दुकानों को लाभार्थियों के आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण हेतु ई-पीओएस उपकरण स्थापित करके स्वचालित कर दिया गया है।

(ङ) और (च): उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित 578 मूल्य निगरानी केंद्रों (पीएमसी) द्वारा प्रस्तुत 40 आवश्यक खाद्य पदार्थों के दैनिक मूल्यों की निगरानी करता है, जिनमें आंध्र प्रदेश के 26 मूल्य निगरानी केंद्र और कोनासीमा जिले का अमलपुरम पीएमसी शामिल हैं। मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा मूल्य निगरानी प्रणाली (पीएमएस) मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक मूल्य प्रस्तुत किए जाते हैं।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ कृषि-बागवानी वस्तुओं जैसे प्याज, आलू और दलहन की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति से निपटने हेतु वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) की स्थापना की गई थी। पीएसएफ योजना का मूल उद्देश्य कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक अस्थिरता से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और आवश्यक खाद्य पदार्थों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। पीएसएफ योजना के तहत, नियंत्रित निर्गम के लिए दलहन और प्याज का रणनीतिक बफर स्टॉक घरेलू और आयातित स्रोतों से खरीदकर बनाए रखा जाता है, ताकि जमाखोरी, अनैतिक सट्टेबाजी को रोका जा सके और उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। पीएसएफ के तहत प्याज और टमाटर जैसी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए भी उपाय किए गए हैं, जिसके तहत स्रोत बाजारों से खरीद करके प्रमुख उपभोग केंद्रों में रियायती मूल्यों पर खुदरा वितरण किया जाता है, ताकि बाजार को मूल्यों में कमी लाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

अनुबंध

"आंध्र प्रदेश में योजनाओं का कार्यान्वयन" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 18.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4241 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में लाभार्थियों और क्रियाशील उचित दर दुकानों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	जिले का नाम	उचित दर दुकान की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	अल्लूरी सीताराम राजू	671	8,75,180
2	अनकापल्ली	1,069	13,87,200
3	अनंतपुर	1,645	18,43,381
4	अन्नमय्या	1,123	13,56,817
5	बापटला	1,123	4,43,018
6	चित्तूर	1,379	15,37,790
7	पूर्वी गोदावरी	871	4,53,772
8	एलुरु	1,123	6,32,057
9	गुंटूर	972	5,25,912
10	काकीनाडा	1,060	4,46,851
11	कोनासीमा	926	4,94,065
12	कृष्णा	1,059	4,58,564
13	कुरनूल	1,233	20,04,119
14	मन्याम	578	7,67,118
15	नंदियाल	1,204	14,49,555
16	एनटीआर	957	5,49,294
17	पालनाडु	1,290	5,86,583
18	प्रकाशम	1,393	17,30,205
19	एसपीएसआर नेल्लोर	1,513	6,99,455
20	श्रीकाकुलम	1,605	17,82,402
21	श्री सत्य साईं	1,367	15,49,726
22	तिरुपति	1,457	12,51,050
23	विशाखापट्टनम	645	4,60,224
24	विजयनगरम	1,250	15,23,861
25	पश्चिम गोदावरी	1,052	4,16,114
26	वाई.एस.आर.	1,239	15,98,890
